



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226664
CG-DL-E-16042021-226664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1531]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943

No. 1531]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ. 1648(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात्, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ.372 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में क्रम संख्या 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यां और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	केरल	प्रधान सेशन न्यायालय, एर्नाकुलम् (कोच्चि)	तिरुअनंतपुरम्, कोल्लम्, पत्तनमतिट्टा, आलापुसा, इडुक्की, कोट्टयम् और एर्नाकुलम्

		प्रधान सेशन न्यायालय, कोसीकोड (कालीकट)	त्रिसूर, पालक्कड, मलप्पुरम्, कोसीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड
		एसपीई/सीबीआई मामलों के लिए अतिरिक्त विशेष सेशन न्यायालय, तिरुवनंतपुरम्	तिरुवनंतपुरम्, कोल्लम्, पत्तनमतिट्टा, आलापुसा, इडुक्की और कोट्टयम्
		एसपीई/सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायालय- 1/एनआईए एर्नाकुलम् द्वारा अन्वेषित मामलों के लिए विशेष न्यायालय	सम्पूर्ण केरल राज्य
		एसपीई/सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायालय- 2/एनआईए एर्नाकुलम् द्वारा अन्वेषित मामलों के लिए विशेष न्यायालय	सम्पूर्ण केरल राज्य
		अतिरिक्त विशेष सेशन न्यायालय-3 (एसपीई/सीबीआई मामले) एर्नाकुलम्	तोडुपुसा, एर्नाकुलम्, त्रिसूर, पालक्कड, मानजेरी, कोसीकोड, कलपट्टा, तलस्सेरी और कासरगोड"।

[फा.सं.सी - 18015/01/2021 एडी. ईडी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं.का.आ.372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 में संख्यांक का.आ. 372 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 966 (अ) तारीख 27 मार्च, 2017 और संख्यांक का.आ. 1420(अ) तारीख 05 मई, 2017 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2021

S.O. 1648 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016, namely:-

In the said notification in the table, for serial number 12 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
“12.	Kerala	The Principal Sessions Court at Ernakulam (Kochi).	Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Idukki, Kottayam and Ernakulam.
		The Principal Sessions Court at Kozhikode (Calicut).	Thrissur, Palallad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod.
		Additional Special Sessions Court for SPE/CBI cases, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha and Kottayam.

	Special Court for SPE/CBI Cases-I / Special Court for cases investigated by NIA, Ernakulam	Entire state of Kerala.
	Special Court for SPE/CBI Cases-II / Special Court for cases investigated by NIA, Ernakulam	Entire state of Kerala.
	Additional Special Sessions Court (SPE/CBI Cases)-III, Ernakulam	Thodupuzha, Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Manjeri, Kozhikode, Kalpetta, Thalassery and Kasaragod.

[F.No.C-18015/01/2021-Ad.ED)]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and subsequently amended vide number S.O. 966(E), dated the 27th March, 2017 and S.O. 1420(E), dated the 5th May, 2017.

WWW.TAXSCAN.IN